

सी.एस.आई.आर. – केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

सं. 2/3/जन./2002/कार गैराज(पार्ट-2)

दिनांक 28/06/2021

कार्यालय ज्ञापन


विषय:- कार गैराज आबंटन

संदर्भ:- कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/3/जन./2002/कार गैराज दिनांक 23.06.2021

निदेशक/प्रशासन नियंत्रक, सीरी, पिलानी ने निम्नलिखित गैराज के आबंटन का अनुमोदन किया है:-

क्र.सं	सहकर्मि का नाम व पदनाम	आवास संख्या	प्रस्तावित गैराज की जोन संख्या/गैराज संख्या
1.	डॉ. सन्तोष कुमार, प्रधान वैज्ञानिक	D-09	2/3
2.	डॉ दीपेन्द्र कान्त, प्रधान वैज्ञानिक	D-13	2/4
3.	श्री रंजन कुमार बारीक, प्रधान वैज्ञानिक	D -19	3/5
4.	डॉ. बी.ए. बौत्रे, प्रधान वैज्ञानिक	D-22	3/6
5.	डॉ सजय सिंह, प्रधान वैज्ञानिक	D-24	4/9
6.	डॉ. महन्त प्रसाद, प्रधान वैज्ञानिक	D-34	5/10
7.	डॉ. अमितावो राय चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक	D-30	5/13
8.	डॉ दीपक बंसल, प्रधान वैज्ञानिक	D-35	5/14
9.	डॉ. मनीष मैथ्यू, प्रधान वैज्ञानिक	D-41	6/20
10.	डॉ. निखिल सूरी, प्रधान वैज्ञानिक	D-42	6/19

1. यह आबंटन वै.तथा औ.अनु. परिषद् (सीएसआईआर) द्वारा निर्धारित आबंटन नियमों एवं दि. 06/05/98 के कार्यालय ज्ञापन सं. सीएसआईआर/आ.आ./97/सम्पदा में उल्लिखित स्पष्टीकरणों तथा इस संबंध में किए जाने वाले संशोधनों के अधीन होगा।
2. यदि कोई कर्मचारी आबंटन आदेश पाने के पांच दिनों के भीतर गैराज का आबंटन स्वीकार करने या गैराज का आबंटन आदेश स्वीकार करने के आठ दिन के भीतर गैराज का कब्जा नहीं लेता तो आबंटन आदेश रद्द हो जायेगा तथा संबंधित कर्मचारी को इस प्रकार की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये आबंटन हेतु मना कर दिया जायेगा।
3. यदि आबंटित गैराज बदलना चाहता है तो वह पहले आबंटित किए गए गैराज को ग्रहण करने के बाद गैराज बदलने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।
4. गैराज में किसी अन्य व्यक्ति की साझेदारी के लिए आबंटित को निदेशक, सीरी पिलानी, की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
5. गैराज में कोई पशु आदि रखने की अनुमति नहीं है।
6. किसी भी आबंटि को आबंटित किए गए गैराज को किराए पर देने की अनुमति नहीं है।
7. आबंटित को आबंटित गैराज के डिजाइन/ढाँचे में किसी प्रकार के परिवर्तन/रूपांतर करने की अनुमति नहीं है।


(महेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित आबंटि ।
2. अधीक्षण अभियंता को इस अनुरोध के साथ कि कृपया गैराज ग्रहण करने/छोड़ने की सही व पूरी रिपोर्ट गैराज ग्रहण करने/छोड़ने के यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेजें ताकि किराए की अधिक/कम वसूली से बचा जा सके। गैराज छोड़ने की रिपोर्ट के मामले में कृपया यह भी सूचित करें कि क्या यह गैराज पुनः आबंटन के योग्य हैं।
3. अध्यक्ष, आवास आबंटन समिति को सूचनार्थ